



HAMIRPUR POLICE



थाना चिकासी

दिनांक 07.02.2024

थाना चिकासी पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे में प्रकाश में आए 03 अभियुक्त, चोरी के माल व अवैध देसी तमंचा/कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना चिकासी पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.02.24 को मु0अ0सं0-123/23, धारा-457/380 IPC से सम्बन्धित चोरी हुए माल की बरामदगी करते हुए प्रकाश में आए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त

- 1) सुरेन्द्र राजपूत पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम बडखेरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर
- 2) इन्द्रकुमार पुत्र सोहनलाल राजपूत निवासी न्यूलीवासा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर
- 3) वेदप्रकाश राजपूत पुत्र हल्कू निवासी ग्राम हरसुण्डी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर

बरामदगी-

माथबेंदी एक नग पीली धातु

हार एक नग पीली धातु

कान के टप्स दो नग पीली धातु हाफपेटी एक नग सफेद धातु

तोडियाँ पांच नग सफेद धातु

व 5850 रुपये नगद

एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा चोरी मे प्रयुक्त एक अदद बोलेरो गाडी नं. UP91L3305

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

अभि० इन्द्रकुमार

- 1.मु०अ०सं० 225/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जलालपुर
- 2.मु०अ०सं० 101/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ
- 3.मु०अ०सं० 186/21 धारा 380/411/457 भा०द०सं० थाना राठ
- 4.मु०अ०सं० 233/21 धारा 120बी/380/411/457 भा०द०सं० थाना राठ
- 5.मु०अ०सं० 443/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ
- 6.मु०अ०सं० 505/21 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना राठ
- 7.मु०अ०सं० 112/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जरिया
- 8.मु०अ०सं० 288/20 धारा 379/411 भा०द०स० थाना जरिया

आपराधिक इतिहास अभि० सुरेन्द्र

- 1.मु०अ०सं० 58/22 धारा 41/411/419/420/467/468 भा०द०सं० थाना मझगवां
- 2.मु०अ०सं० 21/24 धारा 13जी एक्ट थाना जलालपुर
- 3.मु०अ०सं० 165/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जलालपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

2.का० हरिओम शर्मा

4.का० अंकित साहू

1.उ०नि० हरिभूषण सिंह

3.का० मनोज कुमार

